

तारीख वृत्त

हनुमान की कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

भुवालसिंह बनाम कमलेश कुमार वर्गी  
मादा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा  
मुक्तमा नम्बर 118/2018

### "आदेश"

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम विवशला तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2299 रकबा 0.6500 हैक्टर में वादीगण को हिस्सा 18/65 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्सा की खातेदारी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा इस शर्त पर दर्ज किया जावे कि मृत्तक रामचन्द्रसिंह पुत्र अगरसिंह के वारिसान् की जाँच कर यदि जाँच में यही वादीगण वारिसान् पाये जाते हैं तो खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जावें एवं अन्य कोई वारिसान् पाये जाते हैं तो खातेदारी में उनका नाम भी दर्ज किया जावे एवं उक्त हिस्सा 18/65 की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 के पिता स्व० गोपाल पुत्र हनुमान एवं मृत्तका तारामति पत्नि हनुमान एवं प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादिया संख्या 7 एवं प्रतिवादी संख्या 3 एवं मृत्तका श्यामा पुत्री हनुमान एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पिता मृत्तक सुरेशचन्द्र पुत्र हनुमान का नाम हजफ किया जाकर शेष हिस्सा 11/65 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम बदस्तूर रखी जावें तथा अन्य सह खातेदार जवानसिंह पुत्र सायरसिंह का हिस्सा 36/65 बदस्तूर रखा जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत नहीं करें एवं ना ही दीगर से करावें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

( लक्ष्मीकान्त गुप्ता )  
सहायक कलक्टर (फ़ैसल)  
श्रीमाधोपुर(सीकर)



हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तालीम  
में जारी हुए

दयालसिंह बनाम कमलेश कुमार वगै०  
दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा  
मुकदमा नम्बर 119/2018

यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2019  
को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

( लक्ष्मीकान्त गुप्ता )  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)